[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART–II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the 30th May, 2013

(INCOME-TAX)

S.O. ___(E).– In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (1) of section 35CCC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the "said rules"), after rule 6AAC, the following rules shall be inserted, namely:-

"6AAD. Guidelines for approval of agricultural extension project under section 35CCC.

(1) The agricultural extension project shall be considered for notification if it fulfils all of the following conditions namely:-

(i) the project shall be undertaken by an assessee for training, education and guidance of farmers;

(ii) the project shall have prior approval of the Ministry of Agriculture, Government of India; and

(iii) the expenditure (not being expenditure in the nature of cost of any land or building) exceeding an amount of twenty-five lakh rupees is expected to be incurred for the project.

(2) An assessee, before undertaking any agricultural extension project, shall make an application for notification of such project under sub-section (1) of section 35CCC, in duplicate, in Form No. 3C-O, to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the assessee.

(3) The assessee shall also send a copy of the application in Form No.3C-O to the Member (IT), Central Board of Direct Taxes (hereinafter referred to as the CBDT) accompanied by the acknowledgement receipt, as evidence of having furnished the application form in duplicate, in the office of the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the case.

(4) The application shall be accompanied by the following, namely :--

(a) a detailed note on the agricultural extension project to be undertaken by the assessee;

(b) details of the expenditure expected to be incurred on the project and expected date of completion of the project; and

(c) a letter approving the project and specifying the amount of expenditure expected to be incurred on the project from the Ministry of Agriculture, Government of India.

(5) If any defect is noticed in the application referred to in sub-rule (2) or if any relevant document is not attached thereto, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, shall, before the expiry of one month from the date of receipt of the application in his office, intimate the defect to the applicant for its rectification.

(6) The applicant shall remove the defect within a period of fifteen days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, as may be extended by the Commissioner of

Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, so however, that the total period for removal of defect does not exceed thirty days, and if the applicant fails to remove the defect within such period so allowed, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, shall send his recommendation for treating the application as invalid to the CBDT.

(7) On receipt of recommendation of the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, under sub-rule (6), the CBDT, if satisfied, may pass an order treating the application as invalid.

(8) If the application form is complete in all respects, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, may make such inquiry or call for such documents from the assessee as he may consider necessary for satisfying himself regarding the genuineness of the current and proposed activities of the assessee, and send his recommendation to the CBDT for grant of approval or rejection of the application before the expiry of the period of two months to be reckoned from the end of the month in which the application form complete in all respects was received in his office.

(9) The CBDT may, before notifying an agricultural extension project under section 35CCC, call for such documents from the assessee, as it considers necessary, and may also get any inquiry made for verification of the genuineness of the activities of the assessee.

(10) The CBDT may, within a period of three months from the end of the month in which it receives the report referred to in sub-rule (8) from the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, under sub-section (1) of section 35CCC, issue a notification in Form No. 3CP to be published in the Official Gazette specifying the agricultural extension project subject to conditions mentioned in rule 6AAE or such other conditions, as it may deem fit, to be effective for such period not exceeding three assessment years or pass an order rejecting the application.

(11) If the CBDT is satisfied with the activities of the agricultural extension project during the period of notification, it may notify the said project for a further period.

(12) A copy of the notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) shall be sent to the applicant, Ministry of Agriculture, Government of India, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, the Department of Agriculture of the concerned State, and the Agricultural Technology Management Agency (ATMA) of the concerned District(s).

(13) The CBDT may rescind the notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) at any time, if it is satisfied that the assessee has ceased its activities or its activities are not genuine or are not being carried out in accordance with all or any of the relevant provisions of the Act or this rule or rule 6AAE or are not being carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which the notification was issued.

(14) An order treating the application as invalid or rejecting or rescinding the notification shall not be passed unless the assessee has been given an opportunity of being heard in the matter.

(15) A copy of any order invalidating or rejecting the application or rescinding the notification shall be sent to the applicant, Ministry of Agriculture, Government of India, the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, the Department of Agriculture of the concerned State, and the Agricultural Technology Management Agency (ATMA) of the concerned District(s).

6AAE. Conditions subject to which an agricultural extension project is to be notified under section 35CCC.

(1) The assessee undertaking agricultural extension project shall maintain separate books of account of the agricultural extension project notified under

sub-section(1) of section 35CCC, and get such books of account audited by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288.

(2) The audit report referred to in sub-rule (1) shall include the comments of the auditor on the true and fair view of the books of account maintained for agricultural extension project, the genuineness of the activities of the agricultural extension project and fulfillment of the conditions specified in the relevant provisions of the Act or the rules or the conditions mentioned in the notification issued under sub-rule (10) or sub-rule (11) of rule 6AAD.

(3) The assessee shall not accept an amount exceeding the amount as approved in the notification from the beneficiary under the eligible agricultural extension project for training, education, guidance or any material distributed for the purposes of such training, education or guidance.

(4) The assessee shall not get any direct or indirect benefit from the notified agricultural extension project except the deduction of the eligible expenditure in accordance with the provisions of section 35 CCC of the Act, rule 6AAD and this rule.

(5) All expenses (not being expenditure in the nature of cost of any land or building), as reduced by the amount received from beneficiary, if any, incurred wholly and exclusively for undertaking an eligible agricultural extension project shall be eligible for deduction under section 35CCC :

Provided that any expenditure incurred on the agricultural extension project which is reimbursed or reimbursable to the assessee by any person, whether directly or indirectly, shall not be eligible for deduction under section 35CCC.

(6) The assessee shall, on or before the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139, furnish the following to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, namely:—

(a) the audited statement of accounts of the agricultural extension projects for the previous year along with the audit report and

amount of deduction claimed under sub-section (1) of section 35CCC;

(b) a note on the agricultural extension project undertaken by it during the previous year and the programme of agricultural extension project to be undertaken during the current year and the financial allocation for such programme; and

(c) a certificate from the Ministry of Agriculture, Government of India, regarding the genuineness of the agricultural extension project undertaken by the assessee during the previous year.

(7) If the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, is satisfied that the,---

(a) assessee has not maintained separate books of account for the agricultural extension project or has not got such books of account audited by an accountant in accordance with sub-rule (1);

(b) assessee has not furnished the documents referred to in sub-rule (6);

(c) assessee has ceased to carry out activities of agricultural extension project;

(d) activities of agricultural extension project of the assessee are not genuine; or

(e) activities of the agricultural extension project are not being carried out in accordance with the relevant provisions of the Act or the rules or the conditions subject to which the notification was issued,

he may, after making appropriate inquires, furnish a report on the circumstances referred to in clause (a) to (e) to the CBDT for appropriate action as per the provisions of sub-rule (13) of rule 6AAD.".

3. In Appendix-II of the said rules, after Form No. 3CN, the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 3C-O
[*See* rule 6AAD]
Application form for approval under sub-section (1) of section 35CCC of the Income-tax Act, 1961

1. (i) Name and address of the applicant.

(ii) Address of the principal place of business/ registered office of the assessee.

(iii) PAN of the assessee.

(iv) Date of incorporation of the company/ partnership firm/proprietary concern.

(v) Enclose a copy of the Memorandum, Articles of Association.

(vi) If the agricultural extension project of the company was notified earlier under sub-section(1) of section 35CCC, mention the notification number and date of the latest notification and furnish a copy of the same.

(vii) Nature of business

(viii) If notification issued under sub-section(1) of section 35CCC was rescinded in the past, mention reasons on account of which the notification was rescinded.
[Enclose a copy of the Order(s) rescinding notification(s)].

(ix) Date from which notification of agricultural extension project is requested for.

(x) Expected date of completion of project.

2. Purpose of the agricultural extension project(Give a brief write up on the requirement of agricultural extension project indicating the objectives of the project, stages of implementation, expected results and usefulness of the Project.)

3. Details of expenses (other than land or building) expected to be incurred for agricultural extension project.
4. Amount, if any, proposed to be charged from each

beneficiary of agricultural extension project.

5. Agricultural extension projects undertaken by the applicant:
(i) agricultural extension projects undertaken by the assessee during last five years, if any along with their current status.
(ii) Details of agricultural extension projects which have been taken up in past and which are underway on the date of filing of application.

6. Whether the agricultural extension project approved by Ministry of Agriculture, Government of India.
(Enclose a copy of letter obtained from the Ministry of Agriculture, Government of India)

7. Details of Return of Income filed for the last three Assessment years:

Assessment Year	Turnover/Gross receipts	Total Income	Tax Payable as per return	Tax Paid	Assessed Income Details

8. Enclose copy of audited annual accounts of the assessee/accounts of the assessee for the last three years.

9. Whether any Penalty under Section 271(1)(c) was levied on the assessee during the last five years and details thereof.

10. Whether any tax demand is outstanding on the date of filing application.

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief.

Place
Date

Signature

Designation

Full Address

FORM NO.3CP

[*See* rule 6AAD]

Form for notification of agricultural extension project under sub-section (1) of section 35CCC of the Income-tax Act, 1961

1. Name, address and PAN of the applicant

2. Title of the agricultural extension project

3. Purpose of the agricultural extension project

4. Reference No. and date of the application

5. Date of commencement of the agricultural extension project

6. Duration of the agricultural extension project in months

7. Assessment year(s) for which the agricultural extension project is being notified (not exceeding three years)

8. Total expenses likely to be incurred for the agricultural extension project (other than cost of land or building)

9. Amount, if any, to be charged from each beneficiary of agricultural extension project

10. Conditions, if any, subject to which agricultural extension project is notified.

Place :

(Signature)

Date :

(Name and Designation)

Copy to :
(1) the applicant.
(2) Ministry of Agriculture, Government of India.
(3) Commissioner of Income-tax / Director of Income-tax.
(4) The Department of Agriculture of the concerned State.
(5) The Agricultural Technology Management Agency (ATMA) of the concerned District(s).".

Notification No. 38/2013, F.No.142/30/2012-SO(TPL)]

(RAJESH KUMAR BHOOT)
DIRECTOR (TPL-III)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O. 1111 (E), dated the 1st May, 2013

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख 30 मई, 2013

(आय-कर)

का.आ. .... (अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35गगग की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 6ककग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" **6ककघ. धारा 35गगग के अधीन कृषि विस्तार परियोजना के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत ।**

(1) किसी कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा यदि वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :-

(i) परियोजना किसी निर्धारिती द्वारा कृषकों के प्रशिक्षण, शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए चलाई जाएगी ;

(ii) परियोजना को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का पूर्वानुमोदन होगा ; और

(iii) परियोजना पर पच्चीस लाख रुपए से अधिक व्यय (भूमि और भवन पर लागत की प्रकृति का व्यय नहीं हो) उपगत होने की संभावना है ।

(2) कोई निर्धारिती किसी कृषि विस्तार परियोजना को हाथ में लेने से ऐसी परियोजना की धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के लिए निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक आय-कर को प्ररूप सं. 3ग-ण में, दो प्रतियों में आवेदन करेगा ।

(3) निर्धारिती मामले पर अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक आय-कर के कार्यालय में दो प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करने के साक्ष्य के रूप में पावती रसीद साथ के साथ प्ररूप सं. 3ग-ण में, आवेदन की एक प्रति, सदस्य (आय-कर), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीबीडीटी कहा गया है) को भी भेजेगा ।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे, अर्थात् :-

(क) निर्धारिती द्वारा हाथ में ली जाने वाली कृषि विस्तार परियोजना पर विस्तृत टिप्पण ;

(ख) परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्यय के ब्यौरे और परियोजना पूरा होने की संभावित तारीख ; और

(ग) कृषि मंत्रालय भारत सरकार से परियोजना के अनुमोदन और परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्यय को विनिर्दिष्ट करता हुआ पत्र ।

(5) यदि उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है या उसके साथ कोई सुसंगत दस्तावेज उपाबद्ध नहीं है, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर अपने कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति से एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व आवेदक को त्रुटि को दूर करने के लिए संसूचित करेंगे ।

(6) आवेदक ऐसी संसूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर या ऐसी या अवधि जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर द्वारा विस्तारित की जाए, तथापि त्रुटि दूर करने के लिए कुल अवधि तीस दिन से अनधिक होगी, पर त्रुटि को दूर करेगा और यदि आवेदक इस प्रकार अनुज्ञात ऐसी अवधि के भीतर त्रुटि को दूर करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर सीबीडीटी को आवेदन को अविधिमान्य मानने के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा ।

(7) उपनियम (6) के अधीन यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर की सिफारिश की प्राप्ति पर यदि सीबीडीटी का समाधान हो जाता है तो आवेदन को अविधिमान्य मानने के लिए आदेश कर सकेगा ।

(8) यदि आवेदन प्रारूप सभी परिप्रेक्ष्यों में परिपूर्ण है तो यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर ऐसी जांच कर सकेगा या निर्धारिती से ऐसे दस्तावेजों की मांग कर सकेगा जो वह निर्धारिती की वर्तमान और प्रस्तावित कार्यकलापों की वास्तविकता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और उस मास से जिसको उसके कार्यालय में सभी परिप्रेक्ष्यों में परिपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ था मास की समाप्ति से प्रगणित दो मास की अवधि के अवसान से पूर्व आवेदन को अनुमोदन प्रदान करने या अस्वीकार करने के लिए सीबीडीटी को अपनी सिफारिश भेजेगा ।

(9) सीबीडीटी धारा 35गगग के अधीन किसी कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित करने से पूर्व निर्धारिती से ऐसे दस्तावेजों की मांग कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और निर्धारिती के कार्यकलापों की वास्तविकता के सत्यापन के लिए ऐसी कोई जांच भी करा सकेगा ।

(10) सीबीडीटी धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर से उपनियम (8) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के मास के अंत से तीन मास की अवधि के भीतर नियम 6ककङ में वर्णित शर्तों या ऐसी अन्य शर्तों जैसा कि वह आवश्यक समझे जो ऐसी अवधि के लिए जो तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक होगी, प्रभावी होंगी, के अधीन रहते हुए कृषि विस्तार परियोजना को विनिर्दिष्ट करते हुए राजपत्र में प्ररूप सं. 3गत में अधिसूचना जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश पारित करेगा ।

(11) यदि सीबीडीटी अधिसूचना की अवधि के दौरान कृषि विस्तार परियोजना के कार्यकलापों से संतुष्ट है तो वह उक्त परियोजना को और अवधि के लिए अधिसूचित कर सकेगा ।

(12) उपनियम (10) या उपनियम (11) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति आवेदक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर, संबद्ध राज्य के कृषि विभाग और संबंधित जिला (लों) के संबद्ध कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण को भेजी जाएगी ।

(13) सीबीडीटी उपनियम (10) या उपनियम (11) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को किसी भी समय समाप्त कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती ने अपने क्रियाकलाप समाप्त कर दिए हैं या उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या अधिनियम के सभी या किन्हीं सुसंगत उपबंधों या इस नियम या नियम 6ककङ के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं या सभी या किन्हीं शर्तों जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी, के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं ।

(14) आवेदन को अविधिमान्य या अस्वीकार करने या अधिसूचना को समाप्त करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को इस विषय में सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(15) आवेदन को अविधिमान्य करने या अस्वीकार करने या अधिसूचना को समाप्त करने के आदेश की एक प्रति आवेदक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर संबद्ध राज्य के कृषि विभाग और संबंधित जिला (लों) के संबद्ध कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण को भेजी जाएगी ।

6ककङ. शर्तें जिनके अधीन कृषि विस्तार परियोजना धारा 35गगग के अधीन अधिसूचित की जानी है ।

(1) कृषि विस्तार परियोजना हाथ में लेने वाला निर्धारिती धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना की पृथक लेखा बहियां रखेगा और ऐसी लेखा पुस्तकों की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार से संपरीक्षा करवाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कृषि विस्तार परियोजना के लिए रखी गई लेखा पुस्तकों का सही और न्यायोचित दृष्टिकोण, कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलापों की वास्तविकता और अधिनियम या नियमों के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट शर्तों या नियम 6ककघ के उपनियम (10) या उपिनियम (11) के अधीन जारी अधिसूचना में वर्णित शर्तों को पूरा करने पर संपरीक्षक की टिप्पणियां शामिल होंगी ।

(3) निर्धारिती पात्र कृषि विस्तार परियोजना के अधीन फायदाग्राही से प्रशिक्षण, शिक्षण मार्गदर्शन या ऐसे प्रशिक्षण, शिक्षण या मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए वितरित किसी सामग्री के लिए अधिसूचना में अनुमोदित रक़म से अधिक रकम स्वीकार नहीं करेगा ।

(4) निर्धारिती कृषि विस्तार परियोजना से सिवाय अधिनियम की धारा 35गगग के उपबंधों, और इस नियम के नियम 6ककघ उपबंधों के अनुसरण में पात्र व्यय की कटौती के कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा नहीं लेगा ।

(5) सभी व्यय जिसमें से फायदाग्राही द्वारा प्राप्त रकम कम कर दी गई है, यदि कोई हैं, (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) किसी पात्र कृषि विस्तार परियोजना को हाथ में लेने के लिए पूर्णतया या अनन्यतः उपगत किए गए हैं, धारा 35गगग के अधीन कटौती के लिए पात्र होंगे :

परंतु यह कि कृषि विस्तार परियोजना पर उपगत कोई व्यय जिसकी प्रतिपूर्ति की गई है या किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारिती को प्रतिपूर्णीय है, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 35गगग के अधीन कटौती के लिए पात्र नहीं होगा ।

(6) निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की शोध्य तारीख को या उससे पूर्व यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-

(क) कृषि विस्तार परियोजनाओं के पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरणियों के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट और धारा 35गगग के उपधारा (1) के अधीन दावा की गई कटौती की रकम ;

(ख) उसके द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में हाथ में ली गई कृषि विस्तार परियोजना पर एक टिप्पण और चालू वर्ष के दौरान हाथ में ली गई कृषि विस्तार परियोजना के कार्यक्रम तथा ऐसे कार्यक्रम को वित्तीय आबंटन ; और

(ग) निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान हाथ में ली गई कृषि विस्तार परियोजना की वास्तविकता के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से एक प्रमाणपत्र ।

(7) यथास्थिति, आय-कर आयुक्त या निदेशक, आय-कर का यह समाधान हो जाता है कि,-

(क) निर्धारिती ने कृषि विस्तार परियोजना के लिए पृथक लेखा बहियां नहीं रखी हैं या ऐसी लेखा बहियों को उपनियम (1) के अनुसरण में किसी लेखाकार से संपरीक्षित नहीं करवाया है ;

(ख) निर्धारिती ने उपनियम (6) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया है ;

(ग) निर्धारिती ने कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलापों को करना बंद कर दिया है ;

(घ) निर्धारिती के कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं ; या

(ङ) कृषि विस्तार परियोजना के क्रियाकलाप अधिनियम या नियमों के सुसंगत उपबंधों के अनुसार या ऐसी शर्तों, जिनके अधीन अधिसूचना जारी की गई थी, के अधीन रहते हुए नहीं चलाए जा रहे हैं,

वह समुचित जांच करने के पश्चात् खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों पर एक रिपोर्ट नियम 6ककघ के उपनियम 13 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई के लिए सीबीडीटी को प्रस्तुत करेगा ।"।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट II में प्ररूप सं. 3गढ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 3ग-ण

[नियम 6ककघ देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन

1. (i) आवेदक का नाम और पता

(ii) निर्धारिती के कारबार/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रधान स्थान का पता

(iii) निर्धारिती का स्थाई लेखा संख्यांक

(iv) कंपनी/भागीदारी फर्म/सांपातिक समुत्थान के निगमन की तारीख

(v) संगम ज्ञापन/संगम अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें

(vi) यदि कंपनी की कृषि विस्तार परियोजना धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन पूर्व में अधिसूचित की गई थी तो नवीनतम अधिसूचना की अधिसूचना सं. और तारीख का वर्णन करें और उसकी एक प्रति प्रस्तुत करें ।

(vii) कारबार की प्रकृति

(viii) यदि पूर्व में धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना समाप्त कर दी गई थी तो उन कारणों का वर्णन करें जिनके आधार पर अधिसूचना समाप्त कर दी गई थी ।

[अधिसूचना(ओं) को समाप्त करने वाले आदेश (शों) की प्रति संलग्न करें]

(ix) वह तारीख जिससे कृषि विस्तार परियोजना की अधिसूचना के लिए अनुरोध किया गया है ।

(x) परियोजना पूरी होने की संभावित तारीख ।

2. कृषि विस्तार परियोजना का प्रयोजन (परियोजना के उद्देश्यों, कार्यान्वयन के प्रक्रमों, परियोजना के संभावित परिणामों और उपयोगिता को उपदर्शित करते हुए कृषि विस्तार परियोजना की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त लेख दें)

3. कृषि विस्तार परियोजना पर उपगत होने वाले संभावित व्ययों (भूमि और भवन से भिन्न) के ब्यौरे

4. कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक फायदाग्राही से प्रभावित किए जाने के लिए प्रस्तावित रकम, यदि कोई है

5. आवेदक द्वारा हाथ में ली गईं कृषि विस्तार परियोजनाए :

(i) पिछले पांच वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा हाथ में ली

गई कृषि विस्तार परियोजनाएं

(ii) पूर्व में हाथ में ली गई कृषि विस्तार परियोजनाएं जो आवेदन करने की तारीख को चल रही हैं, के ब्यौरे

6. क्या कृषि विस्तार परियोजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है । (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से अभिप्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करें)

7. पिछले तीन निर्धारण वर्षों के लिए फाइल की गई आय-कर विवरणी के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष	कुल कारबार/ समग्र प्राप्तियां	कुल आय	प्रति विवरणी संदेय कर	संदत्त कर	निर्धारित आय के ब्यौरे

8. निर्धारिती के वार्षिक संपरीक्षित लेखों /पिछले तीन वर्षों के निर्धारिती के लेखों की प्रति प्रस्तुत करें ।

9. क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्धारिती पर धारा 271(1)(ग) के अधीन कोई शास्ति उदगृहीत की गई है और उसके ब्यौरे ।

10. क्या आवेदन फाइल करने की तारीख को कोई कर मांग बकाया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

पदनाम

पूरा पता

प्ररूप सं. 3गत

[नियम 6ककघ देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35गगग की उपधारा (1) के अधीन कृषि विस्तार परियोजना की अधिसूचना का प्ररूप

1. आवेदक का नाम, पता और स्थाई लेखा संख्यांक
2. कृषि विस्तार परियोजना का नाम
3. कृषि विस्तार परियोजना का प्रयोजन
4. आवेदन की संदर्भ सं. और तारीख
5. कृषि विस्तार परियोजना के प्रारंभ की तारीख
6. कृषि विस्तार परियोजना की अवधि मास में
7. निर्धारण वर्ष (वर्षों) जिसके लिए कृषि विस्तार परियोजना अधिसूचित की जा रही है (तीन वर्ष से अनधिक)
8. कृषि विस्तार परियोजना पर उपगत होने वाला संभावित व्यय (भूमि और भवन की लागत से भिन्न)
9. कृषि विस्तार परियोजना के प्रत्येक फायदाग्राही से प्रभारित की जाने वाली रकम, यदि कोई है
10. शर्तें यदि कोई हैं, जिनके अधीन कृषि विस्तार परियोजना को अधिसूचित किया गया है

स्थान : (हस्ताक्षर)

तारीख : (नाम और पदनाम)

प्रतिलिपि :

(1) आवेदक

(2) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

(3) आय-कर आयुक्त/आय-कर निदेशक

(4) संबद्ध राज्य का कृषि विभाग

(5) संबद्ध जिला (लों) का कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ।

(राजेश कुमार भूत)
निदेशक, (टीपीएल-III)

[अधिसूचना सं. 38 / 2013, एफ सं.142/30/2012-एसओ(टीपीएल)]

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशश्त किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ 1111(अ) तारीख 01/05/2013 द्वारा किया गया था ।